संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2020/ 2123 भोपाल, दिनांक 9/11/2020

–:: आदेश ::–

1. डॉ. सुरेश चौहान, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेंधवा जिला बड़वानी के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक **14.01.2020** के साथ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक– **71/2020** में पारित आदेश दिनांक **08.01.2020** की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के आदेश का ऑपरेटिंग पैरा इस प्रकार है :–

In view of the statement made by the learned Government Advocate, this writ petition is disposed of with a direction to the respondents to consider and decide the representation of the petitioner, within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order.

2. माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर द्वारा पारित आदेश में डॉ. सुरेश चौहान को 30 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान की पात्रता दिनांक **24.11.2017** से आती है।

3. डॉ. सुरेश चौहान, चिकित्सा अधिकारी के रूप में दिनांक **23.11.1987** को सेवा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए। शासन आदेश के क्रम में दिनांक **26.12.2017** द्वारा दिनांक **23.11.1987** से इनकी सेवाऐं नियमित की गईं।

4. प्रकरण में उल्लेखित म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.01.2008 चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ संवर्ग में प्रभावशील नहीं है। चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ संवर्ग को दिनांक 26.08.2008 से चार स्तरीय वेतनमान प्रभावशील है जिसके क्रम में डॉ. सुरेश चौहान को दिनांक 07.01.2019 के द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान दिनांक 26.08.2008 से स्वीकृत किया गया है।

5. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश **दिनांक 16.03.2016 के पैरा–02** के अनुसार " **विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी, उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत अन्य शासकीय अधिकारियों की भांति वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400–67000 ग्रेड–पे 8700 दिया जावे। यह व्यवस्था दिनांक 01.07.2014 से प्रभावशील की जावे। इस हेतु चिकित्सा अधिकारी संवर्ग की पद संख्या के 02 प्रतिशत सीमा को शिथिल किया जावे** "

6. **बिन्दु क्रमांक–05** के क्रम में 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पात्रता अनुसार स्वीकृत करने हेतु बैठक आयोजित करने के पूर्व संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 92 दिनांक 11.09.2020 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी को डॉ. सुरेश चौहान के अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्षान्त 2011, 2012 एवं 2013 उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति डॉ. सुरेश चौहान को भी पृष्ठांकित की गई है।

7/11/2020

7. दिनांक 24.09.2020 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉ. सुरेश चौहान का नाम विचारण में लिया गया। डॉ. सुरेश चौहान के **वर्षान्त 2011, 2012 एवं 2013** के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण समिति द्वारा डॉ. सुरेश चौहान को परिभ्रमण में रखने का निर्णय लिया गया।

8. अतः उक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में डॉ. सुरेश चौहान, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल सेंधवा जिला बड़वानी को 30 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु वांछित अवधि के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण परिभ्रमण में रखा गया है। वांछित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः प्रकरण छानवीन समिति के समक्ष रखा जावेगा। एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के आदेश दिनांक 08.01.2020 के परिपालन में डॉ. सुरेश चौहान का अभ्यावेदन दिनांक 14.01.2020 पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/2020/ 2125 **भोपाल, दिनांक 3 /11/2020**

प्रतिलिपि :सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. रजिस्ट्रार/उप महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक (लीगल), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर मध्यप्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी मध्यप्रदेश। ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी मध्यप्रदेश।
8. डॉ. सुरेश चौहान, चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेंधवा जिला बड़वानी मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम आई एस डिवीजन स्थानीय कार्यालय भोपाल । विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

3/11/2020

अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश